2021:CGHC:21046

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2581/2013

दिलीप कुमार सिंह आयु लगभग 31 वर्ष पुत्र श्री गोपाल सिंह
निवासी ग्राम एवं पोस्ट धरदाई तहसील पामगढ़ थाना- पामगढ़
जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य
सचिव तकनीकी शिक्षा एवं मानव शक्ति नियोजन विभाग
महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर नया रायपुर (छ.ग.)

2 संचालक,
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण मानव शक्ति नियोजन
महिला पॉलिटेक्निक परिसर बैरन बाजार रायपुर (छ.ग.)

3 संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर
जिला बिलासपुर(छ.ग.)

.....उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता - सुश्री दीक्षा गौराहा
उत्तरवादीगण के उप-महाधिवक्ता - श्री अनिमेष तिवारी

माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
(बोर्ड पर आदेश)

17 - 09- 2021

1. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर कर उचित रिट / निर्देश की मांग की है जिसमें दावा किया गया है कि यद्यपि उसे सहायक कार्यशाला इलेक्ट्रीशियन के 39 पदों के लिए पद के लिए दिनांक 25-6-2011 को तैयार चयन सूची और 25-6-2011 को तैयार प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 में सूचीबद्ध किया गया था , लेकिन 15 चयनित व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और इसलिए याचिकाकर्ता विचार किए जाने का हकदार था, लेकिन उत्तरवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति कार्यवा नहीं की। अतः मनमानी कार्यवाही होने से उसकी नियुक्ति के लिए उचित रिट / निर्देश जारी किया जाए। प्रतिवादी संख्या 3 की कार्रवाई का समर्थन करते हुए जवाब दाखिल किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीक्षा गौराहा ने तर्क किया है कि सहायक कार्यशाला इलेक्ट्रीशियन की नियुक्ति हेतु चयन दिनांक 25-6-2011 को की गई थी, लेकिन चयन सूची दिनांक 25-6-2011 को प्रकाशित की गई और दिनांक 25-6-2011 को नियुक्तियां भी की गईं, लेकिन विज्ञापित 39 पदों में से केवल 24 व्यक्ति ही पदभार ग्रहण किया और 15 व्यक्ति ने पदभार ग्रहण नहीं किया और इसलिए याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची संख्या 1 का उम्मीदवार होने के नाते उक्त पद पर नियुक्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया है। अतः उत्तरवादी क्रमांक 3 के खिलाफ याचिकाकर्ता को उक्त पद पर नियुक्त करने के लिए उचित रिट/निर्देश जारी किया जाए ।

3. दूसरी ओर उत्तरवादीगण के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री अनिमेष तिवारी ने तर्क किया है कि यद्यपि प्रासंगिक नियमों में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं है कि मेरिट सूची कब तक वैध रहेगी, लेकिन सामान्यतः रिक्तियों का निर्धारण

वर्ष में केवल एक बार ही किया जाना चाहिए। किसी नियम के अभाव में चयन सूची की वैधता की सामान्य अवधि एक वर्ष होनी चाहिए। उन्होने अपने तर्क के समर्थन में ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अमरेन्द्र कुमार मिश्रा (2006) 12 SCC 561 और राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश चोपड़ा (2007) 8 SCC 161*** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

4. मैने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुना । उनके द्वारा दिए गए प्रतिद्वन्द्वी तर्को पर विचार किया और अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह सत्य है कि सहायक कार्यशाला इलेक्ट्रीशियन के 39 पदों के लिए चयन सूची दिनांक 25-6-2011 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें से 24 व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और 15 व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तथा याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 1 पर है।

6. बेशक प्रासंगिक भर्ती नियम चयन सूची की वैधता अवधि के लिए प्रावधान नहीं करते। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने **अमरेंद्र कुमार मिश्रा (सुप्रा)** को **जगदीश चोपड़ा (सुप्रा)** में अनुसरण किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना है कि किसी भी नियम के अभाव में चयन सूची की वैधता की सामान्य अवधि एक वर्ष होनी चाहिए। **जगदीश चोपड़ा (सुप्रा)** के मामले में **अमरेन्द्र कुमार मिश्रा** (सुप्रा)के निर्णय का अनुसरण कर निम्नांनुसार माना है कि -

> "9. राजस्थान राज्य में शिक्षकों की भर्ती वैधानिक नियमों द्वारा शासित है। इसलिए, सभी भर्तियाँ इसके अनुसार ही की जानी चाहिए। हालाँकि नियम

9(3) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं है कि मेरिट सूची कब तक वैध रहेगी, लेकिन विधानमंडल की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि रिक्तियों का निर्धारण वर्ष में केवल एक बार ही किया जाना है। बाद के वर्षों में होने वाली रिक्तियों को पिछले वर्ष तैयार की गई चयन सूची से भरा जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। वैसे भी, किसी नियम के अभाव में, चयन सूची की वैधता की सामान्य अवधि एक वर्ष होनी चाहिए। बिहार राज्य बनाम अमरेंद्र कुमार मिश्रा (सुप्रा)(एससीसी पृष्ठ 564, पैरा 9) में, इस न्यायालय ने कहा है कि–

"9. उपरोक्त स्थिति में, हमारी राय में, उन्हें नियुक्त किए जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यह सर्वविदित है कि किसी सूची का कार्यकाल एक वर्ष तक वैध रहता है। एक बार जब यह समाप्त हो जाता है, जब तक कि राज्य द्वारा कोई उचित आदेश जारी नहीं किया जाता है, और तब तक उक्त सूची से कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है।"

आगे (एससीसी पृष्ठ 565, पैरा 13) में यह भी माना गया:–

"13. पूर्व में उल्लेखित निर्णय इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकार हैं कि प्रतीक्षा सूची पर भी विज्ञापन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में निर्धारित अवधि से आगे प्रभावी नहीं रह सकती है।

7. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए और अमरेन्द्र कुमार मिश्रा (सुप्रा) और जगदीश चोपड़ा (सुप्रा) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुसरण करते हुए, यह स्पष्ट है कि भले ही जिन नियमों के तहत भर्ती की जाती है, वे चयन सूची की वैधता अवधि के लिए कोई प्रावधान नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी नियम के अभाव में, चयन सूची की वैधता की सामान्य अवधि एक वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि अमरेन्द्र कुमार मिश्रा (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया था और जगदीश चोपड़ा (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका अनुपालन किया गया है। वर्तमान मामले में, चयन सूची 25.6.2011 को प्रकाशित की गई थी और प्रतीक्षा सूची भी 25.6.2011 को प्रकाशित की गई थी और लागू सेवा नियमों में वैधता अवधि के अभाव में चयन की वैधता भी एक वर्ष मानी जानी थी जो 25.6.2012 के पहले ही समाप्त हो चुकी है और याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका 22.8.2013 को दायर की गई थी, इस प्रकार, प्रतीक्षा सूची की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसलिए, याचिकाकर्ता के पक्ष में परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसी प्रकार, **शंकरसन दास बनाम भारत संघ (1991) 3 SCC 47** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि केवल इसलिए कि उम्मीदवार का चयन हो गया है और उसे प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं हो जाती है। सरकार स्वतंत्र है कि नियुक्ति दे या ना दें ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में याचिकाकर्ता एक वर्ष् की अवधि समाप्त होने के बाद पहुंचा है, ऐसी दशा में उत्तरवादी क्रमांक 03 द्वारा चयन सूचि का जीवन समाप्त होने के बाद नियुक्ति ना देकर पूर्णतः उचित कार्य किया गया है । मै इस याचिका में कोई गुणदोष नही पाता हूँ ।

10. उपरोक्तानुसार, रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है तथा निरस्त किया जाता है । पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगें।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**